


21
82

विलोपित विलोपित विलोपित

भारतीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
अध्यावेदन क्रमांक/-

दिनांक 20/18
मिगरानी - 5512/2018/टीकमगढ़/श्र. 21



श्री. ए. पी. नाथक अग्रि.
द्वारा प्राप्त दिनांक 6.9.18
प्रस्तुत प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 18.9.18 नियत।

विक्रम-ऑफिस कोर्ट 6/9/18
राजेश्वर चण्डेल, च.अ. स्वतंत्र

6.9.18
G.P. Nagade
Adw.

- 1/- रामस्वरूप यादव आयु 65 वर्ष पुत्रस्व रामचरण यादव
 - 2/- प्रेमराम यादव आयु 62 वर्ष पुत्रस्व रामचरण यादव
 - 3/- श्रीमति मायादेवी आयु 53 वर्ष पतिन हरी राम
 - 4/- कममोदी केवार आयु 62 वर्ष पुत्रस्व अर्जुन केवार
 - 5/- पुलकित बंसकर आयु 40 वर्ष पुत्र पुष्पा बंसकर
 - 6/- नीरज यादव आयु 35 वर्ष पुत्र दशरथ यादव
 - 7/- बालचन्द्र रजक आयु 49 वर्ष पुत्रस्व खिर्त रजक
- उपरोक्त सभी निवासीयान ग्राम जमडारपो मुण्डेवर तहसील व जिलाटीकमगढ़ म.प्र. = आदेकगण

बनाम

- 1/- महिला जयकुंवर ठाकुर आयु 70 वर्ष पतिन तेजसिंह
 - 2/- रघुनाथ सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र तेजसिंह ठाकुर
 - 3/- चन्दनसिंह आयु 43 वर्ष पुत्रस्व अर्जुनसिंह ठाकुर
 - 4/- गुलाबसिंह ठाकुर आयु 65 वर्ष पुत्रस्व बलदेवसिंह
 - 5/- हरी राम आयु 55 वर्ष पुत्रस्व बाबुनाथ
 - 6/- शीतल प्रसाद यादव आयु 52 वर्ष पुत्र नाथूराम
 - 7/- चन्द्रभान केवार आयु 55 वर्ष पुत्र गोरेलाल
 - 8/- प्रेयालाल अहिरवार पु आयु 58 वर्ष पुत्रस्व गुन्दे
 - 9/- आशालाल यादव आयु 65 वर्ष पुत्र विठे रंजीत यादव
 - 10/- दारुका प्रसाद यादव आयु 58 वर्ष पुत्रस्व रंजीत
 - 11/- श्री राम यादव आयु 56 वर्ष पुत्रस्व साधूराम यादव
 - 12/- रामसायं यादव आयु 65 वर्ष पुत्रस्व दशरथ यादव
 - 13/- पुनलाल यादव आयु 57 वर्ष पुत्रस्व दशरथ यादव
 - 14/- कपूरचन्द्र यादव आयु 62 वर्ष पुत्रस्व दशरथ यादव
 - 15/- श्रीराम यादव आयु 59 वर्ष पुत्रस्व गणेशदास
 - 16/- लखन यादव आयु 72 वर्ष पुत्रस्व जानकी प्रसाद
 - 17/- शिवकिंर यादव आयु 56 वर्ष पुत्रस्व जानकी प्रसाद
 - 18/- राकेश यादव आयु 65 वर्ष पुत्रस्व रामप्रसाद यादव
 - 19/- केश यादव आयु 66 वर्ष पुत्रस्व रामप्रसाद यादव
 - 20/- महिला इमरतबाई यादव आयु 65 वर्ष पतिन रामप्र
- उपरोक्त सभी निवासीयान ग्राम जमडार तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

आवेदन पत्र प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश ~~अनुसूचित~~ कार्यलय राजस्व निरीक्षक मण्डल समरा जिला टीकमगढ प्रो दिनांक ~~दिनांक~~ जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 37/अ-12/2017-018 में पारित किया गया है जिसमें राजस्व निरीक्षक मण्डल समरा तहसील व जिला टीकमगढ के द्वारा पटवारी हल्का माहुमर द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन दिनांक 10-5-2018 एवं सूचनापत्र 22-4-2018, तथा पंचनामा दिनांक 10-5-2018 के आधार दिनांक 15-5-2018 को प्रदर्श पी- एक ल्गायत पांच को ~~अनुसूचित~~ स्वीकार किया गया है ।

महोदय,

आवेदकगण अपने अत्यावेदन/आवेदन में तादर निम्न विनय करते हैं :-

1/-यहकि प्रकरण के तद्विषय में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खतरा नम्बर 10824/1/2 कक्षा 6-070 हेतु स्थित ग्राम मण्डल की भूमि का सीमांकन अत्यावेदक एक के विनय पत्र के आधार पर किये जाने हेतु पटवारी हल्का नम्बर 36 माहुमरखत द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल समरा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव, सीमांकन प्रतिवेदन, प्रदर्श पी एक सूचनापत्र प्रोपी02, लाल पंचनामा प्रोपी0-3, नक्शा देत प्रोपी0 4 ~~अनुसूचित~~ प्रदर्शपी-5 पेश किये गये जिन सीमांकन को राजस्व निरीक्षक मण्डल समरा द्वारा कक्षा स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित किया है जिन आदेश से तबधित होकर निम्न आधारों पर आवेदकगण यह आवेदन पेश कर रहे हैं :-

आधार
=====

1/-यहकि विद्वान राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रो पी0 एक ल्गायत पांच के दस्तावेज कक्षा स्वीकृत करने में प्रो प्रो भूराट सं० 1959 की धारा 129 में प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का ~~अनुसूचित~~ सदुपयोग नहीं किया है एवं ~~अनुसूचित~~ राजस्व मण्डल प्रो गवालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक नि०-576-दो/2013 में पारित आदेश दिनांक 4-1-2016 का पालन नहीं किया गया है और आभोग्य आदेश पारित किया है जो आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है ।

2/- यहकि पटवारी द्वारा प्रदर्श पी0 एक के पांच के दस्तावेज श्रिया आधारों पर तैयार किये गये हैं जिन दस्तावेजों को कक्षा स्वीकृत करने का आदेश जो राजस्व निरीक्षक मण्डल समरा द्वारा दिया गया है वह उ ~~अनुसूचित~~ व्यापेक्षित नहीं है बकि निरस्त किये जाने योग्य है ।

3/- यहकि राजस्व निरीक्षक के ऊत श्रिया आदेश निकले का ज्ञान कार्य में

उत्तरा 24/6/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5512/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

रामस्वरूप विरुद्ध जयकुंवर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 30-10-2018 | <p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक रामस्वरूप की ओर से अभिभाषक श्री जी.पी. नायक उपस्थित । आवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल समरा, जिला टीकमगढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 31-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p>5. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।</p> | <p>(आर.क. जैन)</p> <p>सदस्य</p> <p>30.10.18</p> |